न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-54RAAJodhpur2023-36RTA225 Dayaram ors Vs Punaram etc

01. दयाराम पुत्र लालाराम,
02. नारायणराम पुत्र लालाराम,
03. गवरी पुत्री लालाराम,
04. मिरगो पुत्री लालाराम,
05. निम्बुराम पुत्र गुमानाराम,
06. पृथ्वीराज पुत्र गुमानाराम,
07. भंवरराम पुत्र गुमानाराम,
08. भानाराम पुत्र गुमानाराम,
09. सम्पत पुत्र गुमानाराम,
10. सांगीदान पुत्र गुमानाराम,
11. पन्नी पत्नी गुमानाराम,
12. लादु पुत्री केवलराम,
13. किसनाराम पुत्र अचलाराम,

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण-तुलछीरामनगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. पुनाराम पुत्र रामुराम,
02. बाबुराम पुत्र रामुराम,
    जातियान् जाट, निवासीगण- छीला, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2022 पुनाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व अन्य बनाम दयाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 03

नि र्ण य

दिनांक : 24 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2022 पुनाराम व अन्य बनाम दयाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 278 रकबा 4.5163 हैक्टेयर ग्राम छीला तहसील लोहावट में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 279 रकबा 12.270 हैक्टेयर में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार मौके पर पहले से ही रास्ता मौजूद है, इसलिए नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थी संख्या एक व दो का खेत डामर सड़क पर ही आया हुआ है, इसलिए नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। इस कारण भी आलौच्य आदेश विधि की मंशा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है व नियमानुसार तैयार नहीं की गई है जो प्रथमदृष्टया ही माने जाने योग्य नहीं है। मौका रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नहीं की गई है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 278 व 298 में सें रास्ता मौजूद है जो खसरा सड़क से लगता हुआ आया हुआ है, इसके बावजूद भी जानबूझकर अपीलार्थीगण को परेशान करने के उद्धेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। दौराने बहस अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रतिकर राशि भूमि के बदले भूमि दी जाती है तो उनके पास मौके पर रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलांट रास्ता देने के लिए तैयार है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार लघुतम एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवायी जा चुकी है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में राजस्व रेकंर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स द्वारा अपने खेत खसरा नं. 278 में आवागमन हेतु अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 279 में सें 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ते की चौड़ाई 9.144 मीटर रखते हुए 240 मीटर लंबा रास्ता प्रदान किया गया है। सामान्यतः काश्तकार को अपनी काश्त तक पहुंचने हेतु 9.144 मीटर चौड़े रास्ते की आवश्यकता नहीं होती है। उसके आवागमन हेतु हेतु 15 से 18 फीट चौड़ाई का रास्ता भी पर्याप्त होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यधिक चौड़ाई का रास्ता प्रदान किये जाने से अनावश्यक भूमि रास्ते के रूप में व्यर्थ होगी तथा पक्षकारान् का भूमि का रकबा कम होगा।

दौराने बहस अपीलांट पक्ष द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि उन्हें प्रतिकर राशि भूमि के बदले भूमि दी जाती है तो वे रास्ता देने हेतु सहमत है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में भी प्रतिकर राशि भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट होता है कि मौका फर्द अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा वक्त मौका जांच अपीलांट्स को जारी सम्मनों की तारीख में भी कांट-छांट किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौका फर्द के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उक्त आब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में समर्थन योग्य नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में यथावत रखे जाने योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05/2022 पुनाराम व अन्य बनाम दयाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में रास्ते की प्रतिकर राशि भूमि के बदले भूमि दिये जाने के विकल्प पर भी विचार कर जहां तक संभव हो इस विकल्प अनुसार प्रतिकर राशि का आदेश पारित करते हुए उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका जांच रिपोर्ट तलब कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुसंगत चौड़ाई के निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर